



चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 09.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियाँ दी गईं। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एण्टी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 09.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चैकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 27 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(1). थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह मय हमराह आरक्षी सतीश यादव, आरक्षी नरेन्द्र सिंह व आरक्षी रणवीर सिंह द्वारा 1. मु0नं0 3021/2020 धारा 323 भादवि0 के वारण्टी ददू सिंह पुत्र सहजोर सिंह निवासी दनप का पुरवा मजरा पतौड़ा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट 2. मु0नं0 94/17 धारा 323/504/506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त 1.प्रहलाद पुत्र कल्लू 2. संतोष पुत्र प्रेमचन्द्र निवासीगण भगवतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट व वारण्टी कौशल किशोर पुत्र राजाराम व वारण्टी जानकीशरण पुत्र राजाराम निवासीगण बरातीर का पुरवा मजरा मऊ थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). चौकी प्रभारी सैरैया उ0नि0 रामअधार सिंह यादव मय हमराह मुख्य आरक्षी संदीप देव, आरक्षी राजमंगल, आरक्षी विनोद यादव द्वारा मु0नं0 1420/20 अ0सं0 05/2012 धारा 324/325/504 भादवि0 के वारण्टी पिन्टू यादव पुत्र शिवमंगल यादव निवासी गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट व मु0नं0 982/2020 अ0सं0 182/2011 धारा 498ए/323/504/506 भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट के वारण्टी रमाकान्त पिढिया पुत्र स्व0 राममिलन निवासी छेरिहाई गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). उ0नि0 श्री कुवंर प्रखर सिंह मय हमराह आरक्षी अजीज उद्दीन द्वारा मु0नं0 573/20 अ0सं0 160/2019 धारा 353/504/506 भादवि0 व 26 वन अधिनियम के वारण्टी दिनेश सिंह पुत्र नारेन्द्र सिंह निवासी उचाँड़ीह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह मय हमराह आरक्षी शाकिर अली व महिला आरक्षी दीक्षा यादव द्वारा वारण्टी 1.सुमावती उर्फ श्यामकली पत्नी नानबाबू निवासी रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट व वारण्टी 2.नानबाबू पुत्र हीरालाल निवासी रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार मय हमराह आरक्षी चन्दन सिंह द्वारा वारण्टी 1. मथुरा प्रसाद पुत्र मातादीन 2. पुनीत पुत्र मथुरा प्रसाद निवासीगण खटवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). उ0नि0 मुन्नीलाल थाना सरधुवा मय हमराह आरक्षी अतुल मिश्रा द्वारा वारण्टी फूलचन्द्र पुत्र रामराज निवासी भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). उ0नि0 श्री रामप्रीत सिंह मय उ0नि0 श्री राजेश कुमार, उ0नि0यूटी0 श्री अखिलेश कुमार मय हमराह का0 चन्द्रभूषण, का0 सूरज निर्मल, चालक का0 पवन यादव प्रकीर्ण वाद सं0-374/23 धारा 125(3) सीआरपीसी के वारण्टी अभियुक्त दीनदयाल पुत्र कालसेन निवासी अगरहुण्डा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7). अपराध निरीक्षक श्री प्रभुनाथ यादव थाना पहाड़ी, उ0नि0 यूटी0 आकांक्षा सिंह व आरक्षी कमलेश कुमार आरक्षी आकाश कुमार द्वारा मु0सं0 147/19 धारा 379/411 भादवि0 व 4/24 खनिज अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त नारायणदीन पुत्र बाबू उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम सकरौली थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(8). उ0नि0 श्री गौरव तिवारी कोतवाली कर्वी व आरक्षी नीतु द्विवेदी द्वारा अ0सं0 1063/2010 धारा 379/427/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1.राहुल पटेल पुत्र अवधेश कुमार निवासी जंगदीशगंज कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2. अस्तफा हुसैन उर्फ बवाली पुत्र स्व0 मुस्तफा निवासी भरतपुरी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(9). उ0नि0 श्री कैलाशनाथ व आरक्षी श्यामू चौकी शिवरामपुर द्वारा अ0सं0 526/015 धारा 279,337,338 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त रामप्रसाद पुत्र कोदा पाल निवासी पथरौड़ी चौकी शिवरामपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(10). उ०नि० श्री नन्दराम, उ०नि० अरविन्द सिंह व मुख्य आरक्षी जय सिंह द्वारा अ०सं० 38/022 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त सालिकराम पुत्र चुन्ना कौल निवासी चुनकावन का पुरवा मजरा कर्का पडरिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(11). उ०नि० श्री गजबेय आलम कोतवाली कर्वी व आरक्षी कुलदीप द्विवेदी द्वारा अ०सं० 777/2019 धारा 452,354427,323,504,506 भादवि० के वारण्टी अभियुक्त 1.दहू उर्फ मुकेश यादव पुत्र नत्थू यादव निवासी पुरानी बाजार कर्वी जनपद चित्रकूट 2. अ०सं० 28/020 धारा 380,411,413,414 भादवि० के वारण्टी अभियुक्त अर्जुन केशरवानी पुत्र अनिल केशरवानी निवासी गोलतालाब कसहाई रोड को गिरफ्तार किया गया।

(12). चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग उ०नि० श्री रमेश यादव व आरक्षी राहुल वर्मा, आरक्षी आशीष कुमार* द्वारा अ०सं० 84/011 धारा ¾ जुआ अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त श्रीचन्द्र पटेल पुत्र चुन्ना पटेल निवासी भगनपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(13). चौकी प्रभारी मण्डी समिति उ०नि० श्री श्यामदेव सिंह व आरक्षी शिवपूजन यादव द्वारा एसएफएलटी नंबर 218/017 धारा 323,504,506 भादवि० के वारंटी अभियुक्त मुन्नालाल उर्फ राजेंद्र प्रसाद गुप्ता पुत्र रामदीन निवासी बिजली पावर हाउस के सामने पहाड़ी रोड कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(14). उ०नि० श्री मुन्नीलाल थाना सरधुवा व आरक्षी अतुल मिश्रा द्वारा अ०सं० 130/2024 धारा 452,447,323,504,506 भादवि० के वारंटी अभियुक्त अनूप सिंह पुत्र आर्यनंदन सिंह निवासी भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(15). उ०नि० प्रशिक्षु श्री अभिनव मय हमराह आरक्षी आनन्द सिंह व आरक्षी विनोद कुमार द्वारा वारण्टी 1.राम सिंह 2.रिक्कू उर्फ रामकुमार 3.सुनील कुमार पुत्रगण ज्वाला सिंह निवासीगण प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). आज दिनांक 09.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(5). महिला सम्बन्धी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु आज दिनांक 09.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में महिला बीट प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में थाना पर नियुक्त समस्त महिला बीट कर्मियों के साथ गोष्ठी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

गोष्ठी में महिला बीट पुलिस कर्मियों के बीट रजिस्ट्रों को देखा गया एवं मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अन्तर्गत सभी महिला पुलिसकर्मियों को उनकी बीट में नियमित भ्रमण करने महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू०पी०-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी जाने के सम्बन्ध में बताया गया साथ ही थाने की महिला हेल्पडेस्क पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनकर उनका समय से निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती गुड्डी देवी, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिकी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ०नि० यूटी श्री अभिनव

प्रताप व आरक्षी दीपक सिंह द्वारा अभियुक्त सिंह पुत्र रामनारायण निवासी प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 25 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग किया गया।

(6). कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा फीता काटकर नव सृजित पुलिस चौकी मण्डी समिति, कोतवाली कर्वी का उद्घाटन किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि गल्ला मंडी एवं इसके आस पास के क्षेत्र में अराजकतत्व अराजकता न फैला सके, लोगों का आवागमन बाधित न हो एवं व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े इस हेतु पुलिस चौकी बनायी गयी है। इस क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा करेगी एवं व्यापारी सुरक्षित वातावरण में अपना व्यापार संपन्न कर सकेंगे।

इस दौरान कॉरपोरेटिव बैंक चित्रकूट बांदा अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी लाइन्स/कार्यालय श्री अरविन्द्र कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल, थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह, चौकी प्रभारी मण्डी समिति श्री श्यामदेव सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री व्यापार संघ श्री शानू गुप्ता, जिलाध्यक्ष उ०प्र० उद्योग व्यापार मंडल श्री राजीव कुमार, प्रदेश सचिव व्यापार मण्डल श्री ओम केशरवानी सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी/व्यापारीगण उपस्थित रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्यामप्रताप पटेल के मार्गदर्शन में थाना रैपुरा पुलिस टीम ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(1). उ०नि० रविकान्त राय मय हमराह का० चन्द्रभूषण राय द्वारा मु०न० 660/19 धारा 147/153/153ए/504/506 भादवि० के वारण्टी अभियुक्त सुरेन्द्र पाल पुत्र सुन्दर पाण्डेय निवासी ग्राम गढवारा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ०नि० रामप्रीत सिंह मय हमराह का० अंकित शुक्ला द्वारा मु०न० 1388/19 धारा 379/411 भादवि० के वारण्टी अभियुक्त बरमदीन उर्फ भगवानदीन पटेल पुत्र कमलेश कुमार पटेल निवासी बन्धा मोड ग्राम रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिकी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री अनुराग सिंह व आरक्षी साकिर अली, आरक्षी चन्दन विश्वकर्मा द्वारा अभियुक्त धीरुचन्द्र पुत्र जगतलाल निवासी बैरागीपुर थाना महेबाघाट जनपद कौशाम्बी को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग किया गया।